वर्ष 5, संख्या 111

रू. 1/-

राष्ट्र महिला

अक्टूबर, 2008

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर के छीहर गांव में हाल ही में हुई सती की घटना भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पल रहे अंधविश्वास और पतित मानसिकता की द्योतक है।

महानदी तथा शिवनाद नदियों के संगम पर हाल ही में जब 75 वर्षीय लालमती के पति की चिता जलाने के बाद ग्रामीणजन वापस लौट गये तो लीलावती ने अपने पति की चिता में छलांग लगा दी।

आत्मदाह करने से पूर्व उसने दुल्हन की साड़ी धारण कर हाथ में एक नारियल और रामायण की प्रति लेकर चिता के दो फेरे लिए। जैसे ही उसके सती होने का समाचार फैला, लोग हाथ में नारियल, मिठाइयां तथा अगरबत्ती लेकर वहां जमा होने लगे। सती होने की हिमायत करने के अपराध में उसके निकट परिवार के सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है: उसकी पुत्री, उसके तीन पुत्र तथा उनकी पत्नियां। पुलिस ने कड़ी कार्यवाही कर एक सही संदेश दिया है कि सती (निषेध) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सती की प्रेरणा देना अथवा उसका महिमा-मंडन करना एक अपराध है। परन्तु पूरे गांव के लोग समझते हैं कि सती होना एक

चर्चा में सती

पुण्य एवं धर्मनिष्ठा का कृत्य है जिसे सामाजिक समर्थन मिलना चाहिए।

लालवती का आत्कदाह स्पष्ट दर्शाता है कि भारत में मध्ययुगीन सामाजिक प्रथाएं किस सीमा तक जड़ें जमाए हैं जब कि आधुनिकता केवल सतही तौर पर ही विद्यमान है। भारतीय जनता की यह मानसिकता केवल शिक्षा एवं जागरूकता द्वारा ही दूर की जा सकती है - शिक्षा का अर्थ किताबी शिक्षा नहीं अपितु वह शिक्षा है जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकती है, जो जानकारी द्वारा लोगों में समझ-बूझ पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप लोग युगों से चले आये अपने दकियानूसी विचारों से मुक्ति पा सकते हैं और समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को जीवित जला दे तो इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता।

किन्तु यह भी सच है कि समाज के सक्रिय समर्थन के बिना किसी भी बुरी प्रथा का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। अकेले कानूनों द्वारा तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता जब तक साथ में दृढ़ कार्यवाही और परवर्तित सामाजिक आचरण न हो। हमारी महिलाओं के स्वयं के बारे में सोचने के ढंग में और पुरुष जिस दृष्टि से महिलाओं को देखते हैं उसमें एक क्रान्ति लाना आवश्यक है।

तेजाब के आक्रमण से पीड़ितों के लिए आयोग का विधेयक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तेजाब के आक्रमण से पीड़ित महिलाओं के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसका शीर्षक है 'तेजाब अपराध निरोध विधेयक, 2008'। तेजाबी आक्रमण महिलाओं पर तेज़ाब फेंक कर की जाने वाली हिंसा है जिसके फलस्वरूप उन्हें शारीरिक, यौनिक, मानसिक हानि पहुंचती है। इसकी डाक्टरी चिकित्सा बहुत मंहगी है और पीड़िता बिना किसी सहारे के स्वयं अपनी देखभाल करने को मजबूर हो जाती है। इस समय तेजाब पीड़िता महिलाओं को मुआवज़ा दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 320 और 326 के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं जिनमें गंभीर चोट से संबंधित मामले आते हैं, जब कि यह मामला कहीं अधिक गंभीर है क्योंकि इसके फलस्वरूप शरीर के विभिन्न भागों को स्थायी और भारी आधात पहुंचता है।

प्रस्तावित विधेयक के लक्ष्य निम्नलिखित है:

1. तेजाब के आक्रमण को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अलग और अत्यन्त जघन्य श्रेणी का अपराप माना जाना।
2. पीड़िता को प्लास्टिक सर्जरी सहित सभी प्रकार की डाक्टरी सहायता मुहय्या कराना।
3. पीड़िता को कानूनी, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समर्थन एवं पुनर्वास की व्यवस्था उपलब्ध कराना।
4. तेजाब की बिक्री विनियमित करना।

अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए क्रेन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय तेजाब पीड़ित सहायता बोर्ड स्थापित किया जायेगा। यह बोर्ड पीड़ितों को एक निगरानी प्राधिकार अथवा किसी सेवा प्राधिकार के माध्यम से सहायता पहुंचायेगा।

प्रथम दृष्टि में संतुष्ट हो जाने पर कि तेजाब से आक्रमण किया गया है, बोर्ड द्वारा राहत की अर्जी प्राप्त होने की तिथि से एक मास के भीतर 5 लाख रु. तक की आर्थिक सहायता का आदेश दिया जायेगा।

पीड़िता के इलाज के लिए बोर्ड समय-समय पर अग्रेतर राशि स्वीकार करेगा जो कुल मिलाकर, 5 लाख रु. की अंतरिम राहत सहित, 30 लाख रु. से अधिक नहीं होगी।

किसी पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, बोर्ड उसके कानूनी उत्तराधिकारी को, यथासंभव बच्चों को, 2 लाख रु. से अनधिक की राशि प्रदान करेगा। यह राशि पीड़िता के इलाज पर मृत्यु-पूर्व खर्च की गयी राशि के अतिरिक्त होगी।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और तेजाब अपराध से निरोध विधेयक, 2008 में संशोधन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और तेजाब अपराध निरोध मसौदा विधेयक, 2008 में संशोधन पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में एक परामर्श आयोजित किया।

परामर्श में भाग लेने वालों को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि दहेज संबंधी मामलों की बड़ी संख्या की दृष्टि में, आयोग ने दहेज निषेध विधेयक को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयोजन से उसमें कई संशोधनों का सुझाव दिया है।

उन्होंने कहा कि संशोधनों का मुख्य लक्ष्य अधिनियम से शब्द 'विवाह के संबंध में' हटा देना है क्योंकि न्यायालयों द्वारा इन शब्दों की बहुत संकीर्ण व्याख्या की गयी हैं। उन्होंने कहा अधिनियम की उस धारा में परिवर्तन आवश्यक है जिसमें दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों को समान स्तर पर रखा गया है। डा. व्यास ने कहा कि लड़की के परिवार वालों को बहुधा दहेज देने को मजबूर किया जाता है, इसलिए आयोग का प्रस्ताव हैं कि दहेज लेने वाले का दंड अधिक कठोर होना चाहिए, जो पांच वर्ष तक का हो सकता है, जब कि देने वाले का दंड कम अर्थात एक वर्ष तक का होना चाहिए।

डा. गिरिजा व्यास महिला एवं बाल विकाश मंत्री श्रीमती रेनुका चौधरी का स्वागत करते हुए

अध्यक्षा परामर्श को संबोधित करते हुए

जहां तक बहु-चर्चित धारा 498-क का प्रश्न है, इसे हलका करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु सभी राज्यों को सलाह भेजी जानी चाहिए कि इस धारा के अंतर्गत मिली शिकायतों की विवेचना पुलिस करे और यह धारा केवल गंभीर मामलों में ही प्रयुक्त की जाये जहां प्रथम दृष्टेय उत्पीड़न स्पष्ट दिखाई देता हो।

इस अवसर पर बोलते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेनुका चौधरी ने कहा कि तेजाब के आक्रमणों के मामलों के बारे में ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि आरोपी पर पीड़िता के इलाज और पुनर्वास की जिम्मेवारी डाली जाये। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे पीड़ितों के लिए एक सहायक बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए और बोर्ड के संतुट होने पर कि घटना में सचाई है, पीड़िता को 5 लाख रु. की राशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों तथा औद्योगिक संगठनों से कहा जायेगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में वे इन बदनसीब पीड़ितों को काम दें। बच्चों से संबंधित भरे जाने वाले सभी सरकारी फार्मों में पिता के नाम के साथ माता का नाम भी लिखे जाने के मुद्दे को भी वे उठायेंगी। श्रीमती चौधरी कुछ भागीदारों के इस विचार से सहमत थीं कि धारा 498-क का दुरुपयोग होता है, किन्तु चूंकि यह धारा बहुत कम प्रयोग में आती है इसलिए बेहतर यह होगा कि इसे हलका करने के बजाय इसका दुरुपयोग रोकने का प्रयास किया जाये।

दहेज निषेध अधिनियम के अन्य प्रस्तावित संशोधन हैं: (क) शब्द 'उपहार' के स्थान पर 'परिदान' रखा जाना; (ख) घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त संरक्षा अधिकारी दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत भी संरक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निभायें; (ग) दहेज मृत्यु के मामले में निर्धारित सात वर्ष की सीमा हटाई जाये क्योंकि अनेक मामलों में दहेज की मांग और दहेज उत्पीड़न विवाह के सात वर्ष के बाद भी जारी रहते हैं; (घ) महिला को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि दहेज का मामला वह केवल वहीं नहीं दर्ज करा सकती जहां यह घटना घटी है अपितु वहां भी दर्ज करा सकती है जहां वह स्थायी अथवा अस्थाई रूप से रह रही है।

श्रोतागण

आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति

• मेघालय की सुश्री वांसुक सयीम ने 24 सितंबर, 2008 से राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। मेघालय के तत्कालीन शाही कबीले के एक धर्मनिष्ट एवं रईस परिवार में जन्मी सुश्री सयीम महिला सशक्तिकरण तथा समाज में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए दशकों से अथक प्रयास करती रही हैं।

वह लम्बे अरसे तक राजनितिक संगठनों तथा शासन व्यवस्था से जुड़ी रही हैं जिस दौरान वह राज्य समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष और उससे पूर्व क्रमशः मेघालय सड़क यातायात कारपोरेशन और हथकरघा व हस्तशिल्प कारपोरेशन की अध्यक्ष भी रही। एक प्रशासक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका अनुभव आयोग के लिए और भी प्रभावी कार्य करने में सहायक होगा। हम आयोग में उनका स्वागत करते हैं।

• सुश्री निर्मला वेंकटेश को 24 सितंबर, 2008 से तीन वर्ष के लिए आयोग के सदस्य के रूप में पुनः मनोनीत किया गया। पूर्व में वह कर्नाटक विधान परिषद् की सदस्य रह चुकी हैं और अनेक वर्षों तक गरीबों तथा दलितों के उद्धार के लिए कार्यरत रही हैं। उन्होंने देश भर में व्यापक भ्रमण किया है। भारतीय तृणमूल महिलाओं की उन्हें अच्छी जानकारी है और आयोग की सदस्यता का पूर्व अनुभव अनके द्वितीय कार्य-काल के लिए निस्संदेह उपयोगी सिद्ध होगा हम आयोग में उनका स्वागत करते हैं।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने सवाई मधोपुर के जिलाधीश, एस पी तथा अतिरिक्त जिलाधीश के साथ बैठक की और वहां पंचायती राज पर आयोजित होने वाली प्रस्तावित बैठक के साथ "चलो गांव की ओर" कार्यक्रम को भी सम्मिलित कर लेने पर चर्चा की।

  बाद में वह खिरनी और मलारना क्षेत्र की झुग्गियों को देखने गयीं और ग्रामीण महिलाओं से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने इन महिलाओं को शिक्षा के महत्व, सामाजिक जागरूकता, उनके कानूनी अधिकारों तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकरण के बारे में भी अवगत कराया।

- सदस्या नीवा कंवर जोरहाट गयीं और क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण पर गैर सरकारी

सदस्या नीवा कंवर (बीच में) जोरहाट में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ

संगठनों तथा स्व-सहायी ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। स्व-सहायी ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। वह माजुली भी गयीं जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्व-सहायी ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की और विश्वास दिलाया कि माजुली में भूमि-ह्रास की समस्या वह नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों के साथ उठायेंगी।

- सदस्या वांसुक सयीम ने शिलांग में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न महिला संगठनों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मेघालय में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की बात बड़ी चिन्ता का विषय है। जब तक महिलाएं अधिक शिक्षित तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, उनके साथ भेदभाव और हिंसा होती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को एक सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए और महिलाओं के कानूनी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त उनके लिए मुकदमा-पूर्व सुविधाएं मुहय्या करानी चाहिए तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों के मामलों का शीघ्र निपटान आश्वस्त करना चाहिए।

  उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा किए जाने और उनकी खामियों को दूर करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण निर्णय

• आत्महत्या के लिए परिवार दोषी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जानबूझ कर किया गया कोई भी ऐसा आचरण जिसके परिणामस्वरूप कोई महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाये अत्याचार के बराबर है और एक व्यक्ति तथा उसके पविार के तीन सदस्यों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न किए जाने के आरोप की कार्यवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। इन लोगों पर आरोप था कि वे बहू को दहेज के लिए तंग कर रहे थे जिसके फलस्वरूप उसने आत्महत्या कर ली। मुकदमा न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत आरोप तय किए थे।

• पत्नी, बच्चों को मुकदमा दर्ज होने के दिन से भरण-पोषण मिलेगा

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि क्रमश: पतियों, पिताओं और बच्चों द्वारा छोड़ दी गयी अपनी पत्नियों, बच्चों तथा माता-पिताओं को भरण-पोषण की राशि मुकदमा न्यायालय में मुकदमा दर्ज होने के दिन से दी जायेगी।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप अब तक चली आयी यह न्यायिक प्रथा पलट गयी है जिसके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा न्यायालय में दी गयी अर्जी पर – जिसमें वैवाहिक विवाद तय होने तक अंतरिम निर्वाह व्यय दिए जाने का प्रावधान है – न्याय-निर्णय दिए जाने के दिन से भरण-पोषण दिया जाता था।

खंडपीठ ने कहा यदि भरण-पोषण निर्णय आने के दिन से दिया जायेगा तो पति कार्यवाही को लम्बा खींचता चला जायेगा।

शाबास बिजलीपुर

यद्यपि पंजाब ऐसे राज्यों में है जहां देश में महिला-पुरुष अनुपात सबसे कम है, परन्तु जिला लुधियाना का एक गांव इसका जीता-जागता अपवाद बन गया है। जब कि पूरे पंजाब राज्य का महिला-पुरुष अनुपात 874:1000 है, बिजलीपुर गांव का यह अनुपात गत छ: वर्षों के दौरान औसतन 1800 : 1000 रहा है।

अप्रैल 2002 से मार्च 2008 के बीच इस गांव में 32 लड़कियां और 17 लड़के जन्मे। इनके अतिरिक्त, गांव में इस समय 3-6 वर्ष आयुवर्ग की 32 लड़कियां हैं।

स्थानीय आगनवाड़ी कार्यकर्ता सुरिन्दर कौर ने कहा कि इस गांव में कन्या भ्रूणहत्या का एक भी मामला नहीं हुआ है जिसका कारण उसने यहां शिक्षा को बहुत महत्व देना बतायां। एक "गांव में केवल स्कूल है, किन्तु लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा की चिन्ता रहती है। लड़कियां पास के समराला शहर के स्कूलों में साइकिल से जाती हैं।"

सरपंज चरंजीत सिंह ने सूचित किया कि गांव की 70 प्रतिशत जनसंख्या हाईस्कूल पास है। अपना निज का उदाहरण देते हुए उसने कहा: "मेरी चार बहनें हैं। उन सबके पास स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं और वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।"

आयोग ने 3 नाबलिग लड़कियों को छुड़ाया

मानव व्यापार एजेंटों, पुलिस और घेरलू नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों के बीच कथित सांठगांठ का पर्दाफाश करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम दिल्ली के मकानों पर धावा डाल कर तीन नाबालिग घरेलू नौकरानियों को छुड़ाया।

यह धावा तब डाल गया जब कि आयोग को सूचना मिली कि रेनुका कुजुर नाम की एक लड़की पूर्वी पटेल नगर के एक मकान में घरेलू नौकरानी लगी थी और उसके साथ दुव्यवहार किया जा रहा था। इससे पूर्व, आयोग की सदस्या मंजु हेमब्रोम ने रेनुका के परिवार की सहायता उसकी बहन रोज़िला की हत्या के मामले में की थी। रोज़िला हरियाणा में पलवल में एक जौहरी के घर काम करती थी। रेनुका ने किसी प्रकार पश्चिम बंगाल स्थित अपने परिवार से संपर्क किया जिन्होंने सुश्री हेमब्रोम को फोन किया।

आयोग ने नोकिया के विरूद्ध स्वत: कार्यवाही की

सुश्री एम. जे. सोनी द्वारा नोकिया के दो मैंनेजरों तेजा तथा सचिन के विरूद्ध उत्पीड़न का आरोप लगाने बाद बंगलोर में आत्महत्या कर लेने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की। सदस्या निर्मला वेंकटेश द्वारा की गयी प्राथमिक विवेचना करने पर पता चला कि सोनी ने शिकायत की थी कि तेजा उसे तंग करता है और उसके अच्छे काम के बावजूद खराब काम बताता है। किन्तु विभाग ने कोई जांच नहीं की और मामले की अनदेखी कर दी। जब सोनी ने कार्मिक संपर्क के प्रमुख से दोनों लोगों की शिकायत की तो उन दोनों ने उसके काम के खिलाफ उलटी शिकायत कर दी। कानूनन अनिवार्य होने पर भी कंपनी ने अपने यहां कोई शिकायत कक्ष स्थापित नहीं किया है। सदस्या ने यह बात वहां के कार्मिक संपर्क अधिकारियों से मिलने के बाद बताई।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन